भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-312

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा पशु

312. श्री शेर सिंह घुबायाः

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अभी तक परित्यक्त एवं आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु कोई प्रभावी राष्ट्रीय कानून नहीं है;

(ख) क्या सरकार का परित्यक्त एवं आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु ऐसा कोई कानून बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो यह कानून कब तक बनाया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मरने वाले आवारा पशुओं की संख्या का वार्षिक ब्यौरा क्या है और उनके शवों के अनुचित निस्तारण/दाह संस्कार के कारण पर्यावरण के लिए क्या खतरा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिये और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। इसके अलावा, सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 15 के अनुसार, पशुओं का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) में उल्लिखित किसी भी मामले के बारे में ऐसे राज्य या उसके हिस्से के लिए कानून बनाने का विशेषाधिकार है। हालांकि, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अनुसार, किसी पशु की देखभाल करने वाले अथवा स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसे पशु का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उसे अनावश्यक दर्द अथवा कष्ट से बचाने के लिए सभी यथोचित कदम उठाए। साथ ही, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(i) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, किसी उचित कारण के बिना, किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त करता है जिससे यह संभाव्य हो कि उसे भुखमरी या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचे, तो उसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अनुसार दंडित किया जाएगा।

(घ) यह जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

*****